कार्यवाही विवरण

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नंदिनी लाईम स्टोन माईन में क्षमता विस्तार के तहत् कुल लीज क्षेत्र 526.34 हेक्टेयर से 549.03 हेक्टेयर (क्षमता विस्तार क्षेत्र–22.69 हेक्टेयर), ग्राम–नंदिनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में माइनिंग ऑफ लाईम स्टोन माईन क्षमता–1.08 एमटीपीए के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण।

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत **मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नंदिनी लाईम स्टोन माईन में क्षमता विस्तार के तहत् कुल लीज क्षेत्र 526.34 हेक्टेयर से 549.03 हेक्टेयर (क्षमता विस्तार क्षेत्र–22.69 हेक्टेयर), ग्राम–नंदिनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में माइनिंग ऑफ लाईम स्टोन माईन क्षमता–1.08 एमटीपीए के पर्यावरणीय स्वीकृति** के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों नवभारत, रायपुर दिनांक 13.01.2018, पत्रिका, रायपुर दिनांक 13.01.2018 एवं हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली दिनांक 13.01.2018 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 16 फरवरी 2018 दिन शुक्रवार को प्रातः 11:00 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में पुराना दशहरा मैदान, विश्राम गृह के पीछे, नंदिनी नगर, तहसील धमधा, जिला–दुर्ग में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु **डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु** परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, **क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लू.सी.जेड)** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउण्ड फ्लोर, ईस्ट विंग, न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र), **जिला कलेक्टर** कार्यालय दुर्ग, **जिला पंचायत** कार्यालय दुर्ग, **जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय**, दुर्ग, **नगर पालिका परिषद, अहिवारा**, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत **नंदिनी खुंदिनी,** जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–**पथरिया**, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–**मेड़ेसरा**, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–**पोटिया,** जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत **परसदा**, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–**कोड़िया**, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–**पिटौरा**, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–**गिरहोला**, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–**सेमरिया**, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–**हरदी**, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत **खपरी**, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–**लेहंगा**, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–**ढौर**, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–**अहेरी**, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–**बागडुमर**, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–**मलपुरीखुर्द** जिला–दुर्ग, **मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19 नया रायपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में रखी गई थी।** उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32

बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 16 फरवरी 2018 दिन शुक्रवार को प्रातः 11:20 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में पुराना दशहरा मैदान, विश्राम गृह के पीछे, नंदिनी नगर, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री संजय अग्रवाल, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग द्वारा प्रातः 11:20 बजे दिन शुक्रवार को लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत अजय चन्द मालू, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई, तत्पश्चात् उद्योग के प्रतिनिधि श्री हेमंत जोशी, खदान प्रबंधक, श्री अभिक शाहा, प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

तत्पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री अजय वासनिक, अहिवारा. जिला–दुर्ग ।**

- हम क्षमता विस्तार का स्वागत करते हैं। बीएसपी क्वार्टर का संधारण किया जाये।
- आसपास के क्षेत्रों के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया जाये। 15 दिनों का दशहरा फिर से वापस लाया जाये।

2. **श्री हरजिन्दर सिंह, नंदिनी, पूर्व पार्षद, जिला–दुर्ग ।**

- बीएसपी से नंदिनी रोड जिसमें ए.सी.सी. का गाड़ी चलती है इन रोड़ों का संधारण करें जिससे दुर्घटना रोकी जा सके या जे.के.लक्ष्मी एवं ए.सी.सी. की गाड़ी को बन्द किया जाये ।

3. **श्री वकील ताण्डी, अहिवारा, जिला–दुर्ग ।**

- हम विस्तार का समर्थन करते हैं। बीएसपी ने नंदिनी एंव आसपास के क्षेत्रों को पहचान दिया है। पहले यह खुशहाल नजर आता था परन्तु अब उजड़ा हुआ दिखता है। अभी बड़ी कंपनियॉ आई है जैसे ए.सी.सी. एवं जे.के. लक्ष्मी सीमेण्ट। यहां पर लोगों को रोजगार में फायदा नही मिला है। नंदिनी सड़क मार्ग का संधारण किया जाये। शिक्षा के दृष्टिकोण से आसपास के गांव के बच्चों को डीएवी. स्कूल में भी प्रवेश मिलना चाहिये। बड़ी शिक्षा के लिये वाहन की सुविधा प्रदान करना चाहिये। पेयजल की समस्या गंभीर बनी हुई है। खदान से निकलने वाले पानी को नाले एवं तालाब में डाल रहे हैं। जिसका पानी लोगों द्वारा निस्तार में उपयोग किया जा रहा है जिससे उनके स्वास्थ्य में गिरावट आयी है। पानी का फिल्टर करना चाहिये।

4. **श्री ओमी महिवाल, पूर्व विधायक, अहिवारा, जिला–दुर्ग ।**

- माइन्स की जो रायल्टी मिलती है उससे आसपास के गांवों में कोई विकास नही किया जा रहा है। बीएसपी से नंदिनी रोड जर्जर है, इसका संधारण नही किया जा रहा है। इसकी मांग हम कई दिनों से कर रहे हैं। जैसा विकास होना चाहिये वैसा नही हुआ है। गरीबी रेखा के बच्चों को बीएसपी के डीएवी स्कूलों में प्रवेश मिलना चाहिये। इस क्षेत्र में डस्ट बहुत है। हास्पिटल की देखरेख ठीक नही है एवं बस की व्यवस्था भी नही की गई है। मुददों को पूरा करना चाहिये।

5. **श्री अनिल श्रीवास्तव, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, अहिवारा, जिला–दुर्ग ।**

- यहां की समस्या है अवैध रूप से भूमि का अधिग्रहण किया गया है। आवास की व्यवस्था होना चाहिये। सीमेण्ट कारखाना खुलने के कारण पर्यावरण की समस्या पैदा हुई है। वृक्षारोपण करते हुए पर्यावरण को संतुलित करना चाहिये। यहां अच्छी योजना बनाकर उजड़ी हुई नंदिनी को फिर से विकास में लाया जाये। नक्सली गतिविधियां न बढ़ें इसलिये आवासों का आबंटन कर देना चाहिये।

6. **श्री कुशल कुमार, अहिवारा, जिला–दुर्ग ।**

- .हमारे द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। बीएसपी द्वारा हाल ही में हमें तीन एकड़ जमीन दी गई है जिसमें हम लोगों ने वृक्षारोपण कराया है। निरंतर हमारे द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। किसी के भी जन्म दिन में हमारे द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। बीएसपी से अनुरोध है कि हमें अतिरिक्त जमीन दिया जाये जिससे हम वहां पर भी वृक्षारोपण कर सके।

7. **श्री घनश्याम यादव, सरपंच, नंदिनी खुंदिनी, जिला–दुर्ग ।**

- बीएसपी द्वारा अपनी जमीन को ए.सी.सी. को लीज पर दिया गया। वह जमीन पुनः बीएसपी को वापस किया जाये जिससे हम निवासी वहां निस्तारी का काम कर सके। आज चारागाह न होने के कारण जानवर खेतों में जा रही है। इस पर शीघ्र कार्यवाही करें। बीएसपी के प्रबंधक द्वारा गांव को गोद लिया जाये। हमारे गांव में जो असुविधा है उसे दूर किया जाये। गली का सीमेण्टीकरण कराया जाये।

8. **श्री मनीष बंजारे, गिरहोला, जिला–दुर्ग ।**

- शिक्षा, स्वास्थ्य पर कोई कार्यवाही प्रबंधन द्वारा नही की गई है। किसानों के लिये आसपास के क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था की जाये। अस्पताल, पानी की व्यवस्था होना चाहिये। हमारे गांव में सीएम के कार्यक्रम में मंदिर का गेट तोड़ दिया गया है जिसे ठीक किया जाये।

9. **श्री रविशंकर सिंह, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत, अहिवारा, जिला–दुर्ग ।**

- बीएसपी के क्षमता विस्तार के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई के दौरान मैं अपना पक्ष रखता हूं कि माइन्स से मापदण्ड की बात करते हैं तो नगर निगम, दुर्ग भिलाई, अहिवारा आदि बीएसपी के कर्मचारियों द्वारा बनायी गई है। एक समय में

नंदिनी खदान में पांच हजार से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत थे। यहां खुशीहाली थी, क्षेत्र विकसित हुआ, माइन्स की महत्ता जब से कम हुई है तब से वर्तमान में लगभग दो सौ से ढ़ाई सौ कर्मचारी कार्यरत हैं। इनकी कॉलोनी में मनोरंजन के लिये सर्वसुविधायुक्त स्कूल, बाजार, अस्पताल है। सन् 1994 से 2000 तक मैं निर्वाचित अध्यक्ष रहा। बानबरद स्कूल प्रबंधन के सहयोग से बनवाया गया। शासन के माध्यम से उन्हें पर्याप्त राशि मिलती रही। जिससे हम विकास कार्य देते रहे। सन् 1957 तीन एकड़ जमीन बीएसपी प्रबंधन द्वारा हमें दिया गया। मूलभूत विकास हमारे द्वारा धीरे धीरे दिया गया। बीएसपी नंदिनी के लिये चिंतित है, इसके लिये सेल प्रबंधन द्वारा समझौता के आधार पर एक सीमेण्ट प्लांट की घोषणा की गई। नंदिनी में लगने वाला सीमेण्ट प्लांट भिलाई में लगा दिया गया जिसका विरोध हमारे द्वारा किया गया। नंदिनी से निकलने वाले फ्लाई ऐश को भिलाई तक नहीं ले जाने देंगे। नंदिनी प्रबंधन के पास तीन हजार आठ सौ एकड़ जमीन उपलब्ध है। सेल मोईल फेरो प्लांट के नाम से छः सौ करोड़ की लागत ज्वाइंट कपनी का स्थापना किया गया। छ.ग. के लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। वह फेरा प्लांट आज तक स्थापित नही हुआ है यह चिन्ता की बात है। यह क्षेत्रीय लोगों के साथ छलावा हो रहा है, इस पर पुनः विचार करें। यू.पी.ए. के शासन काल में जितने इस्पात मंत्री रहे उनके द्वारा कोई कार्यवाही अभी भी नही हुई। नंदिनी के लिये नॉन रिकवर कोक ओवन बैटरी स्वीकृत हुई। हमारा क्षेत्र चूने के पत्थर के भण्डार से भरा है। अच्छे क्वालिटी का चूना होने के कारण इससे इस्पात का निर्माण किया जाता है। अन्य उद्योग ए.सी.सी. व जे.के.लक्ष्मी द्वारा उपयोग किया जाता है। आज यहां लगभग पंद्रह सौ से सोलह सौ करोड़ का निवेश से सामाजिक, आर्थिक विकास हुआ है। उद्योगों द्वारा जमा रायल्टी का कलेक्टर अध्यक्ष होंगे और उसका सदुपयोग किया जायेगा। मिनरल फण्ड में लगभग छब्बीस करोड़ की राशि जमा की गई है। रायल्टी का उपयोग क्षेत्र के विकास में होना चाहिये। क्षेत्र के जल एवं वायु ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया जाये। पर्यावरण संतुलन बिगड रहा है जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जाये। पांच जून को पूरे देश में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्द को जानते हैं जिसे सुनकर हम बड़े प्रभावित हो जाते हैं। जो कि हमारे आदिकाल से ही यह शब्द चला आ रहा है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं अन्य प्रदूषण की समस्याओं का निदान होना चाहिये। जर्जर सड़कों का संधारण कार्य करवाया गया। आबादी के क्षेत्र में बने सड़क अत्यधिक जर्जर हो चुके हैं। इसका अच्छी तरह से संधारण होना चाहिये। राज्य शासन द्वारा अधिकृत कर इसका अच्छी तरह से संधारण कराना चाहिये। जितनी भी सड़कें हैं वह जानलेवा है। इनका संधारण कार्य ठीक ढ़ंग से नही किया गया है। मार्ग का स्थायी हल निकालना चाहिये। खनिज आधारित उद्योग को अपनी आय का लगभग दो प्रतिशत राशि सीएसआर. खर्च करना चाहिये। हम जनसुनवाई का स्वागत करते हैं। विस्तार करने की अनुमति दिया जाना चाहिये।

10. **श्री लोकेश नाहटा, नंदिनी खुंदिनी, उप सरपंच, जिला–दुर्ग ।**

➢ बीएसपी प्रबंधन द्वारा आसपास के गांवों को नजरअंदाज किया गया है सभी विकास कार्य शहरों में किया जाता है। हमारे गांव बहुत सारा जमीन नंदिनी माईन्स के रूप में विस्तार किया गया। हमारे ग्राम पंचायत उपलब्ध पैतीस एकड़ की जमीन ए.सी.सी. को दे दिया गया जिससे चारागाह की समस्या उत्पन्न हो गई। बीएसपी प्रबंधन से अनुरोध करूंगा कि चारागाह के अतिरिक्त जमीन दिया जाये। सभी प्रभावित गांवों का विकास

किया जाना चाहिये। पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रभावित गांवों का विकास होना चाहिये।

11. **श्री उमेश पासवान, अहिवारा, जिला–दुर्ग ।**

➢ ए.सी.सी. सीमेण्ट एवं जे.के. लक्ष्मी सीमेण्ट द्वारा नंदिनी खदान को बर्बाद किया जा रहा है। यहां ए.सी.सी. का तीन माइन्स है, जे.के. लक्ष्मी के दो माइन्स है। इनके बड़े बड़े वाहन इस मार्ग से चलते हैं। जिससे मार्ग बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है। इनके द्वारा भी मार्गो का संधारण किया जाना चाहिये। केबिनेट, प्रधानमंत्री को दरकिनार करते हुए प्रशासन द्वारा दूसरों को जमीन दे दिया गया। जिसका हम विरोध करते हैं। अहिवारा बीएसपी की देन है। बीएसपी प्रबंधन द्वारा डीवीए स्कूल में सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाये। वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाये, सुरक्षा व्यवस्था किया जाये।

12. **श्री विष्णु पटेल, वार्ड–5, पंच, हरदी, जिला–दुर्ग ।**

➢ बीएसपी प्रबंधन आसपास के गांव में विकास कार्य करवाये। हमारे हरदी गांव में भी प्रबंधन द्वारा विकास किया जाये। पर्यावरण का मतलब क्या होता है ? कृपया बतावे। पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ काम किया जाये। जे.के. लक्षमी कंपनी द्वारा करने वाले ब्लास्टिंग के दौरान घर हिलता है। वाहनों को माइनिंग वाले धमधा में ही क्यों पकड़ते हैं ? समीप के चौकी में माईनिंग वाले वाहन का जांच क्यों नहीं करते हैं ?

13. **श्री आनंद साहू, अहिवारा, जिला–दुर्ग ।**

➢ नंदिनी में कॉलेज की स्थापना की गई। खदान गहरी हो गई है। पानी का भराव अधिक हो गया है। उस पानी का उपयोग आसपास के ग्रामीणों को सिंचाई में दिया जाये। सड़क बोग्दा पुलिया तक जर्जर है। चौड़ीकरण करें एवं सड़क का संधारण करें

14. **श्री संतोष बंजारे, मलपुरीखुर्द, सरपंच, जिला–दुर्ग ।**

➢ लोक सुनवाई का मतलब क्या है ? हम समझ रहे है कि रोजगार मिलेगा। यहां बड़ा फैक्ट्री जे.के.लक्ष्मी आया है जिसमें गांव के आसपास के लोगों को रोजगार तो नही मिला है लेकिन जेल जरूर मिला है। जे.के.लक्षमी द्वारा पर्यावरण को नुकसान किया जा रहा है। प्रदूषण के कारण गाय घास नही खा रही है। गांव वाले डर डर के जीवन जी रहे हैं। इनके द्वारा सीएसआर में कोई काम नही करवाया गया है।

15. **श्री धनंजय सिंह ठाकुर, वार्ड–9, जिला–दुर्ग ।**

➢ हमारे कालोनी में विद्युत कनेक्शन को विच्छेद कर दिया गया है। हम आम जनता को भी क्वार्टर आबंटन किया जाये।

16. **श्री विद्यानंद कुशवाहा, पार्षद, अहिवारा, जिला–दुर्ग ।**

➢ क्षमता विस्तार में पेड़ कटेगा ऐसी व्यवस्था करें कि एक पेड़ की जगह दस पेड़ लगाया जाये। नंदिनी माइन्स हजारो पेड़ काटा जा रहा है। मैं पार्षद रहते हुए ग्यारह हजार पेड लगवाया हूं। शेष बचे हुए पेड़ का संरक्षण किया जाये। बीएसपी के क्वार्टर में अवैध रूप से रह रहे लोगों से एक धरोहर राशि लेकर उन्हें रहने दिया जाये। बिजली का बिल भी साथ में लिया जाये। पर्यावरण के प्रति गंभीरता से ध्यान देना चाहिये।

मशीनों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। अगर पेड लगाते नही है तो उसे कांटना भी है।

17. **श्री दयाशंकर तिवारी, अहिवारा, जिला–दुर्ग ।**

➢ खेल प्रतिभा को उभारने के लिये स्टेडियम प्रबंधन द्वारा बनवाया जाये। यहां लगभग पच्चीस हजार की आबादी है। शादी ब्याह के समय बन्द पड़े सिनेमा हॉल को भवन के रूप में उपयोग करने दिया जाये।

18. **श्री सेल्टी दास, अहिवारा, जिला–दुर्ग ।**

➢ नंदिनी खदान से काफी अच्छा सहयोग मिलता रहा है। हम लोक सुनवाई से खुश हैं। नंदिनी माइन्स में चार हजार वर्कर काम करते थे। पहले मिलने वाली सुविधा की अपेक्षा आज यहां कोई भी सुविधा नही मिल रही है। मंगल भवन बनाया जाये जिसे शादी ब्याह में उपयोग किया जा सके। व्यापारी द्वारा चोरी से बिजली ले रहे हैं उनका मीटर लगाया जाये एवं नियमितीकरण किया जाये। अवैध दुकानों को वैध किया जाये एवं उनका संधारण किया जाये। प्रबंधन की ओर से कोई सहायता नही मिलता है। रोड काफी जर्जर हो चुकी है। जिसका संधारण कार्य किया जाये। विगत वर्षो में काफी वृक्ष लगाये गये थे लेकिन अब पेड़ कट रहे हैं। पेड़ों के कटने पर रोकथाम किया जाये

19. **श्री वामन साहू, नंदिनी खुंदिनी, जिला–दुर्ग ।**

➢ लगभग पचास वर्षो से यह माइन्स संचालित है। इसका पर्याप्त विकास नही हो पाया है। वर्ष 2015–16 में एक भवन बना जो कि नाम मात्र है।

20. **श्री कामता प्रसाद चंद्राकर, नंदिनी, जिला–दुर्ग ।**

➢ बिना किसानों के सहमति से माइनिंग लीज के आवेदन दिया जाता है जिससे किसानों को किसी प्रकार जानकारी नही रहती है। जे.के.लक्ष्मी एवं ए.सी.सी. द्वारा प्लांट लगाये गये हैं वह चारागाह का था। ग्रामीणों को स्थायी नौकरी नही दिया गया है। खदान में ब्लास्टिंग के दौरान फसल को नुकसान होता है, पर्यावरण नुकसान होता है। हर किसान को इसका मुआवजा मिलना चाहिये। रायल्टी के माध्यम से विकास होना चाहिये। नंदिनी के विकास में एक प्रतिशत रायल्टी का खर्च नही किया गया है। जे.के. लक्ष्मी एवं ए.सी.सी. माइन्स को तत्काल बन्द किया जाये।

लोक सुनवाई के दौरान जन समुदाय द्वारा उठाये गये मुद्दों, सुझाव, विचार एवं आपत्तियों के परिपेक्ष्य में उद्योग का पक्ष रखने हेतु जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा उद्योग प्रबंधन को निर्देशित किया गया। उद्योग के प्रतिनिधि श्री टी.जी. उल्लास कुमार (उप महाप्रबंधक प्रभारी–फ्लक्स, सह अभिकर्ता, नंदिनी माइन्स) द्वारा जन सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव, विचार व आपत्तियों का उद्योग प्रतिनिधि की ओर अपना वक्तव्य/पक्ष/समधान एवं प्रस्ताव रखा गया जो कि निम्नानुसार है :–

❖ क्वार्टर आबंटन थर्ड पाटी के माध्यम से काफी लोगों को आबंटन किया गया है।

- ❖ बैंक एवं अन्य सरकारी संस्थानों को क्वार्टर दिया गया है। क्वार्टर आबंटन में पॉलिसी बनाया जा रहा है।
- ❖ बीएसपी स्कूल में लगभग 13 हजार रूपये प्रबंधन खर्च करती है। हमारी बस चलती है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सेक्टर–9 हास्पिटल के लिये बस प्रदान की जाती है।
- ❖ राउत नाचा, दशहरा का आयोजन किया जाता है।
- ❖ रोड लोड के अनुसार नही बनाया गया है। पूर्व में जो रोड बनाये गये हैं केवल उसका संधारण किया गया है।
- ❖ रोड निर्माण में लगभग प्रबंधन द्वारा चार लाख रूपये खर्च किया गया था।
- ❖ अगर फोरलेन बनाया जाता है तो हमारे द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
- ❖ आसपास के गांव में पानी की समस्या होने का कोई कारण नही है। क्योंकि हमारे खदान में काफी मात्रा में पानी भरा हुआ है। जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में रिचार्ज किया जाता है।
- ❖ नॉन बीएसपी एम्लाई को भी क्वार्टर एलाट किया जायेगा।
- ❖ इस वर्ष 16500 नग पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है।
- ❖ वृक्षारोपण करने वाली संस्था को हमारे द्वारा अतिरिक्त जमीन दिया जायेगा।
- ❖ सीएसआर के तहत हमारे द्वारा आसपास के गांव में विकास किया जायेगा।
- ❖ सेल मोईल का प्रोजक्ट रिजेक्ट किया गया है।
- ❖ खन्दी तालाब से पानी नही दे पायेंगे।
- ❖ प्रपोजल के तहत वन विकास निगम के माध्यम पेड़ लगाकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी जा रही है।
- ❖ हमारे द्वारा नये क्षेत्र में माइनिंग का कार्य नही किया जायेगा। केवल क्रशर मशीन को माइनिंग लीज के अंदर लाया जायेगा।
- ❖ स्टेडियम का प्रस्ताव भेजा जायेगा। सिनेमा हॉल को मंगल भवन के रूप में उपयोग किये जाने में सहयोग किया जायेगा।

लोक सुनवाई के दौरान दिनांक 16 फरवरी 2018 दिन शुक्रवार को लिखित में **11** आवेदन मौके पर प्राप्त हुआ। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	आवेदनकर्ता का नाम	आवेदन का विषय
1.	श्री अनिल श्रीवास्तव, अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, अहिवारा, दुर्ग।	बीएसपी नंदनी खदान जनसुनवाई के तहत।
2.	श्री कुशल साहू, कामधेनु वृक्षारोपण समिति, नंदिनी, अहिवारा, वार्ड 07 चटाई शीट, अहिवारा, दुर्ग।	वृक्षारोपण करने के लिये बीएसपी की जमीन उपलब्ध कराने बाबत्।
3.	श्री घनश्याम यादव, सरपंच, ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदिनी, दुर्ग।	ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदिनी में नंदिनी माइन्स से पानी देने बाबत्।
4.	श्री घनश्याम यादव, सरपंच, ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदिनी, दुर्ग।	बीएसपी के पुरानी खदान को पाटकर ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदिनी को हस्तांतरण करने बाबत्।

5.	श्री पूरनलाल निषाद, सरपंच, ग्राम पंचायत, परसदा, दुर्ग।	प्राथमिक शाला भवन परसदा सीमेण्टीकरण एवं अन्य कार्य संबंधी।
6.	श्रीमती मंजू मण्डावी, सरपंच, ग्राम पंचायत सगनी, दुर्ग।	पक्की नाली निर्माण संबंधी।
7.	श्री घनश्याम सिंह बंजारे, सरपंच, ग्राम पंचायत गिरहोला, दुर्ग।	ग्राम पंचायत गिरहोला में मूलभूत समस्या बाबत्।
8.	श्री उमेश पावान, सामाजिक कार्यकर्ता, अहिवारा, वार्ड नंबर–7, पो0 नंदिनी, नगर जिला दुर्ग।	नंदिनी खदान के संबंध में।
9.	समस्त ग्रामवासी, ग्राम नंदिनी, दुर्ग	मकान एवं विद्युत कनेक्शन आबंटन करने बाबत्।
10.	प्रधान पाठक, शा.प्रा.शा., बानबरद विकासखण्ड धमधा, दुर्ग।	सी.एस.आर. मद से शासकीय प्राथमिक शाला बानबरद में हॉल निर्माण बाबत्।
11.	श्री लक्ष्मीकांत पाण्डेय, अध्यक्ष, फुटकर व्यापारी संघ, टाउनशिप मार्केट, नंदिनी नगर, दुर्ग।	हॉकर लायसेन्स व विद्युत व्यवस्था बाबत् आवेदन।

लोक सुनवाई के दौरान जन समुदाय द्वारा उठाये गये मुद्दों, सुझाव, विचार एवं आपत्तियों को अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा संक्षिप्त में पढ़कर सुनाया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से कुल **76** लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर **02.15** बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

(ए.सी.मालू)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

(संजय अग्रवाल)
अति0 जिला दण्डाधिकारी
जिला–दुर्ग

क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
ro_bhilai@rediffmail.com 0788 - 2242964

क्रमांक /क्षे.कार्या/छपसंमं/भिलाई/2018 दिनांक :

प्रति,

संयुक्त कलेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–दुर्ग (छ.ग.)।

विषय :– मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नंदिनी लाईम स्टोन माईन में क्षमता विस्तार के तहत् कुल लीज क्षेत्र 526.34 हेक्टेयर से 549.03 हेक्टेयर (क्षमता विस्तार क्षेत्र–22.69 हेक्टेयर), ग्राम–नंदिनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में माइनिंग ऑफ लाईम स्टोन माईन क्षमता–1.08 एमटीपीए के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण के संबंध में।

संदर्भ :– कार्यालय, संयुक्त कलेक्टर, जिला–दुर्ग का पत्र क्रमांक/3225/वरि. लि.–2/पंजी कं.48/2017, दिनांक 24.02.2018

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 16.02.2018 को मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नंदिनी लाईम स्टोन माईन में क्षमता विस्तार के तहत् कुल लीज क्षेत्र 526.34 हेक्टेयर से 549.03 हेक्टेयर (क्षमता विस्तार क्षेत्र–22.69 हेक्टेयर), ग्राम–नंदिनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में माइनिंग ऑफ लाईम स्टोन माईन क्षमता–1.08 एमटीपीए के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई संपन्न की गई थी। इस संबंध में कार्यवाही विवरण संलग्न कर कृपया आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई